

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 61/2022  
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/72

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा  
(राज)

अभियुक्त :-

बनाम

1. विशाल पुत्र श्री प्रमुलाल कलाल मैसर्स  
शुभम किराणा स्टोर, बांसवाड़ा जयपुर  
रोड, तेजपुर, बांसवाड़ा
2. शुभम पुत्र श्री प्रमुलाल कलाल मैसर्स  
शुभम किराणा स्टोर, बांसवाड़ा जयपुर  
रोड, तेजपुर, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011


निर्णय

दिनांक 14-12-2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक 25-11-2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 20-06-2022 को 12.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स शुभम किराणा स्टोर, बांसवाड़ा जयपुर रोड, तेजपुर, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर विशाल पुत्र श्री प्रमुलाल कलाल उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर Refind Soyabean Oil (Brand- Avish) के 15 पैक बोतल 1000 - 1000 एम.एल के आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए Refind Soyabean Oil (Brand- Avish) के 4 पैक मूल बोतल वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 600 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा Refind Soyabean Oil (Brand- Avish) के 4 पैक मूल बोतल को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जाँच हेतु अगिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा को भेजा।



*(Handwritten signature)*




अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/249-250 दिनांक 19-07-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 623 दिनांक 01-07-2022 अनुसार विक्रेता से वारंते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Refind Soyabean Oil (Brand- Avish)** का नमूना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा सब स्टेण्डर्ड **Refind Soyabean Oil (Brand- Avish)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 28-11-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 14.12.2022 को अप्रार्थीगणों ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणों द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/249-250 दिनांक 19-07-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 623 दिनांक 01-07-2022 अनुसार विक्रेता से वारंते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Refind Soyabean Oil (Brand- Avish)** का नमूना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा सब स्टेण्डर्ड **Refind Soyabean Oil (Brand- Avish)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।



अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत स  
स्टैंडर्ड पाये गए **Refind Soyabean Oil (Brand- Avish)** को विक्रय करके विक्रेत  
ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा  
2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व  
नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया  
जाकर श्री विशाल पुत्र श्री प्रमुलाल कलाल मैसर्स शुभम किराणा स्टोर, बाँसवाडा जयपुर रोड, तेजपुर,  
बाँसवाडा को रूपये 10,000/- (अक्षरे रु दस हजार मात्र), शुभम पुत्र श्री प्रमुलाल कलाल  
मैसर्स शुभम किराणा स्टोर, बाँसवाडा जयपुर रोड, तेजपुर, बाँसवाडा को रूपये 10,000/- (अक्षरे रु  
दस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम  
2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक  
स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत  
अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर  
चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा  
कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।  
निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।



नरेश बुनकर  
(नरेश बुनकर) 14  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति. जिला कलेक्टर)  
(बांसवाड़ा राज.)  
बांसवाड़ा